सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/589 दर्ज तिथिः–20.08.2025

1. लादूराम पुत्र रामकिशोर
2. जयप्रकाश पुत्र रामकिशोर
3. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर

जाति अग्रवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. नर्मदा नहर परियोजना, नहर विभाग चतुर्थ खण्ड सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः– राज पैरोकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–28.08.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472/215/0.5662 है0, 473/215/0.3695 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
   - कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी में से खसरा संख्या 471/215/0.4402 है0 गै0मु0 नहर वर्तमान में चलायमान है।
   - कि उक्त खसरे मूल खसरा संख्या 215 से विभक्त होकर बने हैं। मूल खसरा संख्या 215 में से नहर निकलने से उक्त आराजी विभक्त होकर गै0मु0 नहर के खसरा संख्या 471/215 सृजित कर राजस्व रिकॉर्ड में

तरमीम का अंकन किया गया। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा गै0मु0 नहर की तरमीम प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 472 / 215 में कर दी गई। जबकि उक्त नहर भौतिक रूप से खसरा संख्या 473 / 215 में से चल रही है। इस प्रकार राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रार्थीगण की आराजी एवं नहर हेतु अवाप्त भूमि की तरमीम मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे एवं चलायमान नहर से भिन्न स्थान पर करने से मौके एवं रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई है।

2. असल में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी व नहर की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472 / 215 / 0.5662 है0, 473 / 215 / 0.3695 है0 मौजा आलपुरा एवं नहर की आराजी खसरा संख्या 471 / 215 / 0.4402 है0 गै0मु0 नहर की तरमीम मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे एवं भौतिक रूप से संचालित नहर के अनुसार परिशिष्ट—अ के आधार पर तरमीम दुरूस्त की जावे। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

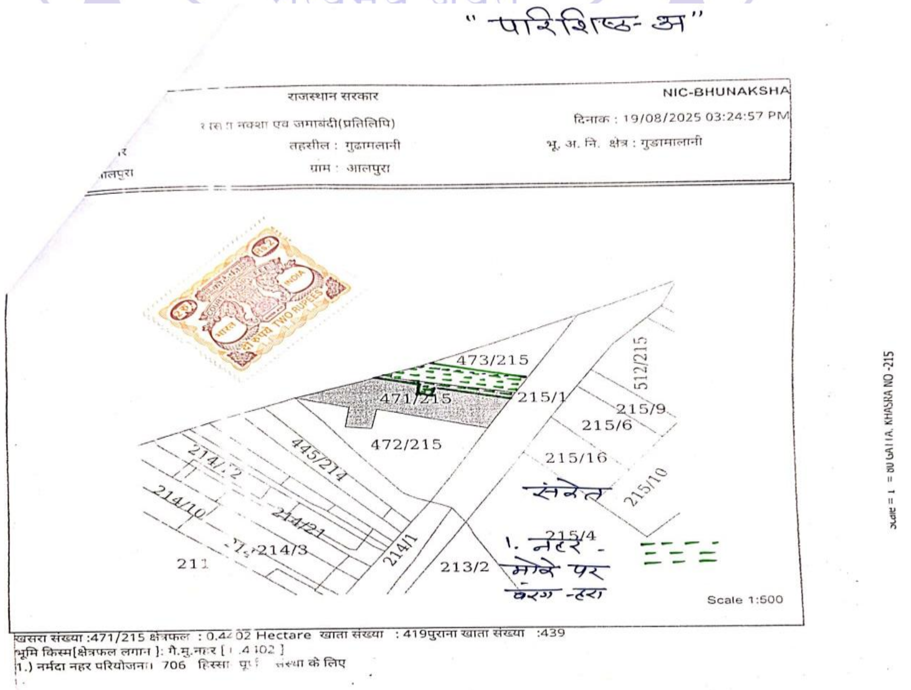

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

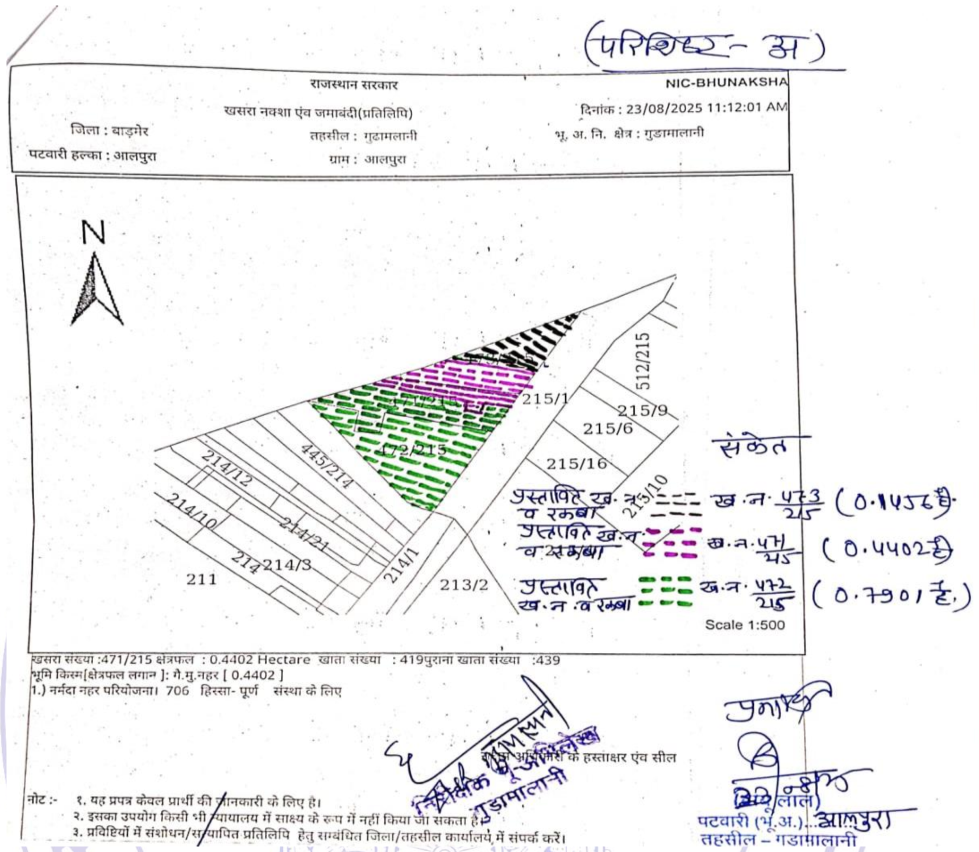

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

- *कि ग्राम आलपुरा के मूल खसरा संख्या 215 / 2 रकबा 08—10 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 472 / 215 / 0.5662 है0 व 473 / 215 / 0.3695 है0 व नर्मदा नहर खसरा संख्या 471 / 215 / 0.4402 है0 में नर्मदा नहर की तरमीम भूमि अवाप्ति अनुसार सही अंकित की गई है।*
- *कि मूल खसरा संख्या 215 / 2 वर्तमान खसरा संख्या 472 / 215, 473 / 215 एवं नर्मदा नहर खसरा संख्या 471 / 215 की तरमीम भूमि अवाप्ति अनुसार सही की गई एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं मौके पर नर्मदा नहर चलायमान के विपरीत अंकित की गई है।*
- *कि आराजी खसरा संख्या 473 / 215 व 471 / 215 (कुछ भाग) में से होकर नहर मौके पर चलायमान है। अर्थात्त नहर का कुछ या आंशिक भाग खसरा संख्या 473 / 215 व आंशिक भाग 471 / 215 में से होकर चलायमान है।*

- *कि मूल खसरा संख्या 215/2 वर्तमान खसरा संख्या 472/215, 473/215 एवं नर्मदा नहर खसरा संख्या 471/215 की तरमीम प्रार्थीगण के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है।*

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। साथ तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 472/215/0.5662 है0, 473/215/0.3695 है0 मौजा आलपुरा में से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 471/215/0.4402 है0 गै0मु0 नहर वर्तमान में चलायमान है तथा नर्मदा नहर हेतु भूमि अवाप्त होने से पृथक खसरे सृजित हुए हैं। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।
यह आदेश आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर